पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 नवंबर, 2015

का.आ. 3029(अ).—निम्नलिखित प्राप्त प्राप्ति, जिसे केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पटित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षाकृत, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है; और यह सूचना दी जाती है कि उक प्राप्त प्राप्ति कर पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राज्य की प्रतियों जनसाधारण को उपलब्ध कर सी दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा:

एका कोई व्यक्ति, जो प्राप्ति अधिसूचना में अंतःक्रिय प्रत्यावर्तन के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितवन है, इस प्रकार विनिर्देश अवधि के शीतकालीन, केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किये जाने के लिए, अक्षेप या सुझाव संचार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंद्रा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित समूह में भेज सकेंगा।

प्राप्त प्राप्ति अधिसूचना

मंजीरा वन्यजीव अभयारण्य तेलंगाना के नगर जिले में 17.09°.45" से 17.12°.15" उत्तर अंश के वीण और 78.02°.15" से 78.04°.48"पूर्व देशांतर के वीण अवस्थित है और उह मंजीरा तथा झिंगूर परियोजना बांध के वीण एक जलाशय है; और यह, अभयारण्य मंगौर चाका का निवास है और यहुं संचारित मस्तानियों की पांच प्रजातियों की 10 प्रजातियां, सारसूपों की 26 प्रजातियां, स्तनधारियों 18 प्रजातियां और घिसियों की 170 से अधिक प्रजातियों पाई जाती है;

और, यह जलीय पक्षी प्राणी समूह के लिए एक महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक आवास है और अनेक निवासी एवं प्रवासी पक्षियों जैसे ओरिंटल डाटर, लेक इलिस, वाइट इलिस, ग्लासी इलिस, लेक विन्ड ट्यूल, कॉम्व टक्स, ओपन
बिल्ड स्ट्रोक, स्पुत विल्स, कोन्ट टीलस, विहीसिंग टीलस, रेड क्रेस्ट्टब पोकाडस, कामन पोकाडस, ब्रह्माण्नी डक्स, गे पेन्लिस्स, बाउन हेडिड गलस, बार हेडिड गोज, मार्श हैरियर, ड्रामोसेल्स बेनस और स्वेलोस यहां रहते हैं;

और, मंजीरा वन्यजीव अभयारण्य में जलाशय है यहां पर 9 द्वीप स्थित हैं, और जो टाडप एसपी आईपोनिया एसपी. निक्कोटाइड आडाडोफाइडा, पौलीगोनम ग्लेयसम, ल्यूकस आरपेना, सेंटेल्स एशियाटिका, हाइड्रिला वर्टिसिलाटा, विक्स़ीनिस्टा ल्यूटरीस्टा और मार्सिलिया क्वाइडोफोरिया जैसी जलमग्न और उदगामी वनस्पतिया विधान हैं और वन क्षेत्र में विविध उष्ण कटिबन्धीय झाड़ किस्म के जंगल हैं;

और जब, मंजीरा वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्र की सुरक्षा और संरक्षा और उसमें वन्य जीवन और उनके पर्यावरण के सुधार और विकास के प्रारंभ के लिए आवश्यक है।

और, मंजीरा वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विशिष्ट हैं, पर्यावरण की रूप से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में सूचित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिबिध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पत्ता पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) के साथ पत्ता द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तेलंगाना राज्य में मंजीरा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 1 किलोमीटर तक के विस्तारित क्षेत्र को मंजीरा वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नलिखित है, अथवा: --

1. पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं--(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन तेलंगाना के बेडक जिले में 65.28 वर्ग किलोमीटर में फैला है और इसमें बेडक जिले के 12 गांव और 2 मंडल, सदाधिपेट और पुलकल सम्मिलित है।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार मंजीरा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर तक होगा।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमाओं का वर्णन उपाध्य 1 और ग्रामों की सूची उपाध्य 11 के रूप में संलग्न है।

(3) अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का मानचित्र उपाध्य 111 रूप में संलग्न है।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना --(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राज्यवर्त में इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन का तारिख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यवस्थाओं के परमार्श से, आंचलिक महायोजना, इस अधिसूचना में विविधित्र सूची में ऐसी शैली में तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विभिन्न के सामंजस्ते में तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी भारतीय निर्माणदेश, यदि कोई हो, द्वारा तैयार किया जाएगा इस अधिसूचना में संलग्न अनुवंश के सामंजस्ते से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) आंचलिक महायोजना, इसमें वर्णवर्णण्य और पारिस्थितिकीय विवरणों को समाकलित करने के लिए निम्नलिखित सभी संबंध राज्य सरकार के विभागों के परमार्श से तैयार की जाएगी, अर्थातः:--

(i) पर्यावरण ;
(ii) वन ;
(iii) नगर विकास ;
(iv) पर्यटन ;
(v) नगरपालिक ;
(vi) राजस्व ;
(vii) कृषि ;
(viii) महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ;
(ix) सिनचाई; और
(x) लोक निर्माण विभाग।

(3) आंचलिक महायोजना राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगी।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विभाग भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्धारित अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में और आंचलिक महायोजना में सभी अवसंरचना और अंतर्गत क्रियाकलाप कारक इस प्रकार विनिमयित न हो।

(5) आंचलिक महायोजना में अन्तर्गतित क्षेत्रों के जीवाश्रय, विभाग जल लिकायों के संरचना, आवाह क्षेत्रों के प्रवेश, जल-संबंधित क्षेत्रों के प्रवेश, भूतल क्षेत्र, वन क्षेत्र जैसे उपयोग और उसी प्रकार के स्थान, उपयोग कृषि क्षेत्र, आर्थिक, जीवित और अन्य जल निकायों का अवस्थान करेगी।

(6) आंचलिक महायोजना में सभी विभाग पूजा स्थल, ग्रामों और नगरीय विकास केंद्रों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्र, ऊर्जा - भूमि, हरियाली क्षेत्र, उपयोग और उसी प्रकार के स्थान, उपयोग कृषि क्षेत्र, आर्थिक, जीवित और अन्य जल निकायों का अवस्थान करेगी।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक विकास के लिए अनुमोदित विकास और अंतर्गत समुदायों की आवश्यकता को सूचित करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी,

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपयोग - राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी,

(1) भू-उपयोग - पारिस्थितिक विकास के लिए, उपयोग कृषि क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए बाढ़ पावन और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औपचारिक संबंधित विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संयोजन नहीं होगा:

परंतु पारिस्थितिक विकास के लिए जीवाश्रय, मानोरंजन क्षेत्र, शीतली समिति के स्थान पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्वायत्त निवासियों के आवश्यक जीवन को पूरा करने के लिए और पैकेट 4 के सारणी के स्तर (2) के अधीन क्रम सं. 10, 16, 22, 28 और 31 के समन्वय सूची विकास क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुमोदित होंगे, अथवा तः:

(i) परिस्थितिकीय अनुक्रम पर्यटन क्रियाकलापों के लिए पर्यटन के अस्थायी आवास के लिए परिस्थितिकीय अनुक्रम कूटिया जैसे तब्दी और लकड़ी के गृह आदि;
(ii) विभाग सड़कों को चौड़ा तथा मजबूत करना और नई सड़कों का संरचना करना;
(iii) प्रदूषण क्षेत्र से निपटने के लिए उपयोग;
(iv) गर्म जल संरचना; और
(v) कूटिया उपयोग, जिसमें क्षेत्रीय उद्योग, सुविधा श्रंजन और स्वायत्त सूची निर्माण भी हैं।

परंतु यह और तीन राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और संबंधित के अनुच्छेद 244 या तत्परताओं के उपबंधों के अनुमोदन के बिना, अंतर्गत क्षेत्र क्रियाकलाप और अंतर्गत परंपरागत जनजीवन निवासी (जन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उपयोग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजीवन भूमि का उपयोग अनुमोदन नहीं होगा:
परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संबंधी जोन के नीति भू-अभिलेखों में पाई जाने वाली कोई वृद्धि मानीती समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित भावने में एक वर्ष संशोधित होनी और उन वृद्धि के संशोधन की भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचना दी जाएगी:

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त वृद्धि के संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपविभाग के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि हरते जैसे वन जैसे, कृषि आदि में कोई पारिस्थितिक कड़ीती नहीं होगी और अपमुक्त या अनुमुक्त कृषि क्षेत्रों में नवगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व की वफर आंचलिक प्रतिबंध योजना के अनुसार पृथ्वी के प्रयास किए जाएंगे।

(2) प्राकृतिक जल-स्रोत -- आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल-स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संशोधन और पुनर्प्रयोग के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके लिए किया क्रियाकलाप प्रतिष्ठित करने के लिए ऐसी रीति से मार्गदर्श तैयार किए जाएंगे।

(3) पर्यटन -- (क) पारिस्थितिक संबंधी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप, के अनुसार होंगे, जो आंचलिक महायोजना, आंचलिक महायोजना का भाग होंगे।

(ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, तेलंगाना सरकार द्वारा राजस्थान और वन विभाग, तेलंगाना सरकार के परामर्श से तैयार होंगी।

(ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप लिम्बनिलिखित के अधीन विनियमित होगे, अर्थातः :-

(i) पारिस्थितिक संबंधी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विधान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्र सरकार के पर्यटन, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा पारिस्थितिक पर्यटन राज्यीय व्यापार संस्थान प्राधिकरण, द्वारा जारी (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व देते हुए पारिस्थितिक संबंधी जोन की वहन क्षमता के अधिक या अधिक होगा,

(ii) पारिस्थितिक संबंधी दिल्ली पर्यटन क्रियाकलापों से सम्बंधित पर्यटकों के रहने के लिए अस्थायी निवास हेतु आवास के अनुसार भवनीय की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर होटलों और रिसार्ट्स के नए निर्माण की अनुमति नहीं होगी।

परंतु यह यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1 किलोमीटर की दूरी के आगे पारिस्थितिक संबंधी जोन तक नए होटलों और रिसार्ट्स को तय रखने के लिए अनुमोदन पूर्व परमाणु और पदार्थ मंत्रालय के केवल पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिक पर्यटन सूचनाएं के लिए दी जाएगी।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विधान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थान विनियमित संचालित की जाएगी तथा मानीती समिति की सिफारिश पर आधारित संचालित विनियमात्मक प्राधिकरियां द्वारा अनुजात किया जाएगा।

(4) नैसागिक विवाह -- पारिस्थितिक संबंधी जोन में महत्वपूर्ण नैसागिक विवाह के सभी स्थलों जैसे सभी जीव कोश आरक्षित क्षेत्र, शील विवाहलार, जल प्रपातों, धारी, घाटी मांगों, उपरोक्त, गुफाओं, सघन झरने पात, भ्रमण, अभिरोध, प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें परिक्षण किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षण के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपर्युक्त योजना बनाई जाएगी।

(5) मानव विनियमित विवाह स्थल - पारिस्थितिक संबंधी जोन में भवनों, संरचनाएं, शिशु-त्यों, ऐतिहासिक, कलामक और संकार क्रिया के क्षेत्रों और अहातों की पहचान की जाएगी और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार की जाएगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी।
(6) ध्वनि प्रदूषण — पारिस्थितिक संबंधी जोड़ में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या मध्य प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वायु (प्रदूषण नियंत्रण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार में मार्गदर्शक सिद्धांत और विलियम तैयार करेगा।

(7) वायु प्रदूषण — पारिस्थितिक संबंधी जोड़ों में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या मध्य प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वायु (प्रदूषण नियंत्रण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार में मार्गदर्शक सिद्धांत और विलियम तैयार करेगा।

(8) बहिष्कार का निर्माण — पारिस्थितिक संबंधी जोड़ में उपचारित बहिष्कार का निर्माण जल (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) ठोस अपशिष्ट -- ठोस अपशिष्ट का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -

(i) पारिस्थितिक संबंधी जोड़ में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालिन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 908(3), तारीख 25 सितंबर, 2000 को प्रकाशित नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (प्रवृत्त और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा:

(ii) स्थानीय प्राप्तिकरण जैव लिंगनिकरणीय और अजैव निपकरणीय संगठनों में ठोस अपशिष्टों के सम्पूर्णकल के लिए योजनाएं तैयार करेगे;

(iii) जैव लिंगनिकरणीय सामग्री को अधिमानतः फाद बनाकर या कृिम खेती के माध्यम से पुनःचेत किया जाएगा;

(iv) अर्थव्यवस्था का निपटान पारिस्थितिक संबंधी जोड़ के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संबंधी जोड़ में ठोस अपशिष्टों का जलना या भर्तीनिकरण अनुमति नहीं होगा।

(10) जैव चिकित्सीय अपशिष्ट- पारिस्थितिक संबंधी जोड़ में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालिन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.आ.630 (3) तारीख 20 जुलाई, 1998 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रवृत्त और हथालन) नियम, 1998 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(11) यानीय परिवहन - परिवहन की यानीय गतिविधियाँ आवास के अनुसूच नियमित होगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजन में विशेष उच्चवर्ग अधिकारियों एवं आंचलिक महायोजन के तैयार होने और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रवृत्त नियमों और विलियमों के अनुसार यानीय गतिविधियाँ के अनुसार मानीटर करेगी।

(12) अन्यमयिक उपकरण - (क) प्रत्येक पारिस्थितिक संबंधी जोड़ के भीतर कोई लकड़ी आपराधिक नए उपकरणों की श्यामित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा इसके लिए आपराधिक उपकरणों को विधि के अनुसार श्यामित किया जाता है।

(ख) प्रत्येक पारिस्थितिक संबंधी जोड़ के भीतर जल, वायु, मृदा, ध्वनि प्रदूषण फैलाने नए उपकरण की श्यामित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

4. पारिस्थितिक संबंधी जोड़ में प्रतिष्ठाय या विनियमित क्रियाकलाप की सूची - पारिस्थितिक संबंधी जोड़ में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनियमित रीति में विनियमित होंगे, अथावं और: ---
<table>
<thead>
<tr>
<th>सारणी</th>
<th>क्रम सं.</th>
<th>क्रियाकलाप</th>
<th>टैक-टिपणी</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(1)</td>
<td></td>
<td>वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयों।</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(2)</td>
<td></td>
<td>(क) नए खनन (लघु और वृहत खनन). पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयों वाणिज्यिक खनन के साथ स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं का स्वास्थ्य नहीं होगी।</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(3)</td>
<td></td>
<td>(ख) खनन संवेदन, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट्राइट याचिका (सिद्धिक) सं. 1995 का 202 टी.एच. गौडाबमन विवेकानंद वाणिज्यिक खनन भारत सरकार के मामले में अदेश तारीख 4.8.2006 और रिट्राइट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21.04.2014 के अंतरिम आदेश के अनुसार में स्वास्थ्य प्राप्त होगी।</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td></td>
<td>आरा मशीनों की स्थापना।</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td></td>
<td>जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कार्य करने वाले उपयोगों की स्थापना।</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td></td>
<td>जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td></td>
<td>नई वृहत जल विद्युत परियोजनाओं और सिंधुव परियोजनाओं की स्थापना।</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6.</td>
<td></td>
<td>किसी परीक्षणक्षेत्र पदार्थों का उपयोग किया जाएगा।</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7.</td>
<td></td>
<td>प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपस्थित वहस्तियों और ठोस अपशिष्टों का निर्माण।</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8.</td>
<td></td>
<td>पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वातावरण अदाला राष्ट्रीय उपयोग के ऊपर से उड़ता जैसे क्रियाकलाप करता।</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>9.</td>
<td></td>
<td>नए लकड़ी आधारित उपयोग।</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10.</td>
<td></td>
<td>नए होटलों और रिसोर्टों की स्थापना।</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11.</td>
<td></td>
<td>सन्निमित्र क्रियाकलाप।</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12.</td>
<td></td>
<td>वृक्षों की कटाई।</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

अ. विनियमित क्रियाकलाप:

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्रम सं.</th>
<th>क्रियाकलाप</th>
<th>टैक-टिपणी</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(क)</td>
<td>अभयारण्य की सीमा से तीन सौ मीटर की दूरी तक 125 व्युत्क्रम फुट की दिशा वाले टूट बेल के स्वास्थ्य के सन्निमित्र की अनुपस्थित नहीं होगी।</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(ख)</td>
<td>अभयारण्य की सीमा से तीन सौ मीटर से एक हजार मीटर के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में दो से अधिक मंजिल (पाँचो सिट) दायर किए जाने के प्रश्न को सन्निमित्र की अनुपस्थित नहीं होगी।</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(क्ष)</td>
<td>राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के प्रवाह वन, सरकारी या राजस्व या जिजी भूमि पर या वनों में किंह वृक्षों की कटाई नहीं होगी।</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>नं.</td>
<td>सार</td>
<td>विवरण</td>
</tr>
<tr>
<td>-----</td>
<td>------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td>13.</td>
<td>वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भू-जल संचयन भी है।</td>
<td>(क) भूमि के अधिभोगी के वातावरण क्षेत्र और घरेलू भूमि के अंतर्गत करेगा। अन्य संबंधित कायम के अनुसार निदेशों का पालन किया जाएगा।</td>
</tr>
<tr>
<td>14.</td>
<td>विकृत केबल और दूरसंचार टावर के परिन्योग।</td>
<td>(क) अभयारण की सीमा से एक हजार मीटर की दूरी तक नई हाईटेशन ब्र्योले को विकसित करने वाले गैर-परसंकटमय, वाणिज्यिक या उपयोग के लिए सहृदय और समानता के उपयोग के लिए विनियमित होगा।</td>
</tr>
<tr>
<td>15.</td>
<td>होटल और लॉज के सिमान परिसर में बाड़ लगाना।</td>
<td>लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।</td>
</tr>
<tr>
<td>16.</td>
<td>विविध संरक्षण को चौड़ा करना और उठान सुरक्षा करना तथा नई सड़क का निर्माण।</td>
<td>यथा लागू वाणिज्यिक प्रदूषण, समाधान, संवर्धन, और न्यूट्राइजर उपयोग के साथ किया जाएगा।</td>
</tr>
<tr>
<td>17.</td>
<td>सरी में यातना यातायात का संचालन।</td>
<td>लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा।</td>
</tr>
<tr>
<td>18.</td>
<td>विदेशी प्रजातियों को लाना।</td>
<td>लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।</td>
</tr>
<tr>
<td>19.</td>
<td>पहाड़ी दालों और नदी टर्क का संरक्षण।</td>
<td>लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।</td>
</tr>
<tr>
<td>20.</td>
<td>प्राकृतिक जल निकायों या संस्थान यंत्र में उपयोगिता व्यवसाय के लिए निर्माण।</td>
<td>उपकारित व्यवहार के उपचार को भ्रमण करने और अवधि या टीस अपवशेषों द्वारा निर्माण के लिए विविध विनियमियों का अनुपालन करना होगा।</td>
</tr>
<tr>
<td>21.</td>
<td>वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होटिंग।</td>
<td>लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।</td>
</tr>
<tr>
<td>22.</td>
<td>प्रदूषण, उत्पादन न करने या उपयोग न करने लागू।</td>
<td>परिसंचरणिक मंत्रालय की मंजूरी के अंतर्गत जिस में देशीय माल से उपयोग का उपयोग करने या नहीं करने वाले गैर-प्रदूषण, गैर-परसंकटक, लागू और सेवा उपयोग, कृषि उपयोग, कृषि या अन्य आच्छादित ऐसे उपयोग जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालने हैं, अनुमोदन कर्तव्य जाएँगे।</td>
</tr>
<tr>
<td>23.</td>
<td>रात्रि में यातना यातायात का संचालन।</td>
<td>लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा।</td>
</tr>
<tr>
<td>24.</td>
<td>विदेशी प्रजातियों को लाना।</td>
<td>लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।</td>
</tr>
<tr>
<td>25.</td>
<td>प्राकृतिक ब्र्योले के परिवहन।</td>
<td>लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।</td>
</tr>
<tr>
<td>26.</td>
<td>कृषि प्रणालियों में आपूर्ति-पूर्ति परिवर्तन।</td>
<td>लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।</td>
</tr>
</tbody>
</table>

संरक्षित क्षेत्रक्षेत्र: स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और व्यावसायिक प्रणाली के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि, जल कृषि और मालिक पालन।
28. वसा जल संचयन।
सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

29. जैकेट खेलती।
सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

30. सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को बढ़ावा करना।
सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

31. कृत्रिम उपयोगों जिसके अंतर्गत जानीम容易 करिफर आदि भी हैं।
सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

32. नर्मकरणीय ऊजा सोत का उपयोग।
जैव मैस, और प्रकाश आदि को बढ़ावा देना होगा।

5. मानीटीर समिति। (1) केंद्रीय सरकार, पार्श्विकात्मक संबंधी जोन की प्रभावी मानीटीर के लिए एक मानीटीर समिति का गठन करेगी जो निम्नतरिक्षित से मिलकर बनेगी, अर्थात् -

(क) जलाधीश मेडक - अध्यक्ष;
(ख) पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों (जिसके अंतर्गत विशाल संसूचन भी है) का प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा नामिनित एक प्रतिनिधि - सदस्य;
(ग) तेलंगाना सरकार द्वारा नामिनित पराक्रान्तिक और पर्यावरण क्षेत्र प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए एक विशेष - सदस्य;
(घ) विशेष अधि-कारी, राज्य प्रदूषण नियंत्रण वोल्ड, मेडक - सदस्य;
(ङ) क्षेत्र का विरित नगर योजनाकार - सदस्य;
(च) प्रभागीय वन अधिकारी, मेडक - सदस्य;
(छ) क्षेत्र का राजस्थान प्रभागीय अधिकारी - सदस्य;
(चछ) जला वर्ष जीव विभाग - सदस्य-सचिव।

(2) मानीटीर समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटीर करेगी।

(3) पारश्विकात्मक संबंधी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची के अनुसार सक्रिय अधिकारकों और एयर अधिसूचना के पैर 4 के अधीन प्रतिष्ठात विभिन्न संरचनाओं के स्थाय आने वाले ऐसे क्षेत्र अधिकारकों की दशा में वातावरण विभिन्न स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटीर समिति द्वारा संकर्षण की जाएगी और उस अधिसूचना के अनुसार अधिकारकों के अधीन एयर पर्यावरण नियंत्रण के लिए केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, जल और जलवायु परिवार वन मंत्रालय को निर्देश की जाएगी।

(4) इस अधिसूचना के पैर 4 के अधीन यथा विभिन्न संरचनाओं के स्थाय, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संरचनाओं का नामिनित 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसार सक्रिय अधिकारकों के अधीन प्रतिष्ठात विभिन्न संरचनाओं, जिनके सक्रिय नहीं किया गया है, परंतु पारश्विकात्मक संबंधी जोन में आते हैं, ऐसे क्षेत्र अधिकारकों की वातावरण विभिन्न स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटीर समिति द्वारा संकर्षण की जाएगी और उस संबंध विभिन्न संरचनाओं का प्रतिक्रियान निर्देश किया जाएगा।

(5) मानीटीर समिति का सदस्य-सचिव या संबंध कलक्ट करंदी वन संसूचक (वन्यजीव) ऐसे यथा के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करते हैं, पर्यावरण (संसूचना) अधिनियम, 1986 का धारा 19 के अनुसार परिवाद फाइल करने के लिए सक्रिय होगा।

(6) मानीटीर समिति मुद्रों के आधार पर ऐसवर्गों पर निर्देश रहने हुए संबंध विभागों के प्रतिनिधियों या विभागों, औपनिक संगठनों या संबंध प्रणालियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।
(7) मानीटर समिति प्रत्यक्ष वर्ष की 31 मार्च तक राज्य के मुख्य वन्यजीव वांडन को अपनी वारिस्क कार्यवाह किया रिपोर्ट उपाध्ये IV में उपरोक्त रूप में उल्लिखित वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(8) केंद्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटर समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्धारण के लिए समय-समय पर ऐसे निर्देश दे सकेगा, जो यह ठीक समझे।

6. इस अधिसूचना के उपरांत भारत के माननीय उच्चतम संवेदन के 30 जून तक सीमा करेगी।

7. इस अधिसूचना के उपरांत भारत के माननीय उच्चतम व्यावसायिक व उच्च व्यावसायिक व राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई है, इनका प्रतिबंध कर सकेगी।

[फा. सं. 25/50/2014-ईएसजेड/आरई]

डा. टी. चांदनी, वैज्ञानिक ’जी’

उपाध्ये. I

पारिस्थितिकीय संवेदी जोन की सीमाओं का वर्णन

ए - मंजीरा वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकीय संवेदी जोन की सीमा बिन्दु A से शुरू होती है और स्टेशन 1 के उत्तरी पश्चिमी किनारे पर अंक 17.74943 और 77.94329 के साथ सिंगुर बांध के निकट और होलापुर के पी डबल डी रोड के क्रासिंग बिंदु से मालाफक और दक्षिण-पूर्व दिशा की ओर जाते हुए स्टेशन संख्या 2.3.4, और 5 को जोड़ते हुए यात्रा सिंगुर अपोमार्ग के मध्य से गुज़रते हुए वे यह दल नो5 से गुज़रते हुए स्टेशन नो 11 को और पुरातन और मीनपुर के गांवों से होते हुए आते हुए तथा इसके पश्चिम गांव मीनपुर से होते हुए तथा दक्षिण-पूर्व दिशा की ओर गुज़रते हुए और गांव कोलु गंगोलूर, गंगोलूर, गंगोलूर और चेतरया की सीमा की ओर जाते हुए स्टेशन नो 19 तक जाती है जो कि बिन्दु की ओर है।

बी - मंजीरा गांव (राजस्थान) के पारिस्थितिकीय संवेदी जोन के अंतगत आने वाले गांवों की सूची में उत्तरी पश्चिमी किनारे पर अंक 17.73165 और 77.92921 के साथ मालापाहाड़ सदािसवापीट मेदक के अंतगत आने वाले गांवों की सूची निकालती है।

सी - सी: यह बिन्दु बी और स्टेशन 19 से जोड़ दक्षिण दिशा की ओर बढ़ती है और गांव कोलु गंगोलूर के मध्य से गुज़रते हुए स्टेशन 20 से दक्षिण की ओर जाते हुए और स्टेशन 21 पर मंजीरा नदी को काटती है तथा इसके पश्चिम यह पश्चिमी दिशा की ओर मुड़ती है और गांव कोलु गंगोलूर, गंगोलूर, गंगोलूर और चेतरया की सीमा की ओर जाते हुए स्टेशन नो 11 तक जाती है जो कि बिन्दु की ओर है।

डी - मंजीरा बी और स्टेशन 19 तक मालापाहाड़ सदािसवापीट मेदक का निकत स्टेशन 29 तक पश्चिमी दिशा की ओर जाते हुए और गांव कोलु गंगोलूर के मध्य से गुज़रते हुए स्टेशन 30.31 को जोड़ते हुए, यात्रा कोलुपली के मध्य से जाती है और स्टेशन 32 और 33 के मध्य यात्रा गंगाकट्टा को काटते हुए ओर- पश्चिमी दिशा को मुड़ती है इसके बाद स्टेशन 34, 35 और 36 तक मालाफक के गांव से गुज़रते हुए उत्तर दिशा की ओर बढ़ती है तथा मालाफक से हुलापुर के पी डबल डी रोड को काटते हुए सिंगुर बांध को पार करती है और फिर मंजीरा नदी को पार करती है तथा बिन्दु ए पर मिलती है अर्थात सिंगुर यात्रा के निकट शुड़ुकीा नामक स्टेशन 1।

उपाध्ये. II

प्रस्तावित पारिस्थितिकीय संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले गांवों की सूची

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्र.सं.</th>
<th>गांव का नाम</th>
<th>मण्डल</th>
<th>जिला</th>
<th>अंकश</th>
<th>देशान्तर</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>मालापाहाड़</td>
<td>सदािसवापीट</td>
<td>मेदक</td>
<td>17.73165</td>
<td>77.92921</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>येतीगड़ासंगम</td>
<td>सदािसवापीट</td>
<td>मेदक</td>
<td>17.71524</td>
<td>77.93390</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>पोतीपल्ली</td>
<td>सदािसवापीट</td>
<td>मेदक</td>
<td>17.69941</td>
<td>77.96342</td>
</tr>
<tr>
<td>No.</td>
<td>ग्रामस्थान</td>
<td>सदासिवापीट</td>
<td>मेंका</td>
<td>ध्रुवनीलता</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-----</td>
<td>------------</td>
<td>--------------</td>
<td>--------</td>
<td>-------------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>कोलकुर</td>
<td>सदासिवापीट</td>
<td>मेंका</td>
<td>17.69072</td>
<td>77.98642</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>निजामपुर</td>
<td>सदासिवापीट</td>
<td>मेंका</td>
<td>17.67902</td>
<td>78.00297</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>कालवाड़</td>
<td>संगारेड्डी</td>
<td>मेंका</td>
<td>17.64349</td>
<td>78.06670</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>छेकिशाल</td>
<td>पुलकाल</td>
<td>मेंका</td>
<td>17.67619</td>
<td>78.09249</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>गंगोजीपेट</td>
<td>पुलकाल</td>
<td>मेंका</td>
<td>17.68490</td>
<td>78.06941</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>गंगुपुर</td>
<td>पुलकाल</td>
<td>मेंका</td>
<td>17.68908</td>
<td>78.05569</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>एसोजीपेट</td>
<td>पुलकाल</td>
<td>मेंका</td>
<td>17.70089</td>
<td>78.03362</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>कोदुर</td>
<td>पुलकाल</td>
<td>मेंका</td>
<td>17.70765</td>
<td>78.02194</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>पोछावाराम</td>
<td>पुलकाल</td>
<td>मेंका</td>
<td>17.72817</td>
<td>77.95133</td>
</tr>
</tbody>
</table>

उपाधिच-III

अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकीय संस्तंदी जैन की सीमा का मानचित्र
<table>
<thead>
<tr>
<th>क्र.सं.</th>
<th>अक्षांश</th>
<th>देशांतर</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>17.74943</td>
<td>77.94329</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>17.73852</td>
<td>77.94899</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>17.72439</td>
<td>77.94999</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>17.72366</td>
<td>77.95328</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>17.72821</td>
<td>77.96172</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>17.72902</td>
<td>77.96643</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>17.72920</td>
<td>77.97164</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>17.73063</td>
<td>77.98182</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>17.72783</td>
<td>77.98893</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>17.72319</td>
<td>78.00207</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>17.71511</td>
<td>78.00734</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>17.71198</td>
<td>78.01714</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>17.70798</td>
<td>78.02277</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>17.70694</td>
<td>78.03107</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>17.71340</td>
<td>78.04663</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>17.69250</td>
<td>78.05330</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>17.69187</td>
<td>78.06938</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>17.69274</td>
<td>78.09199</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>17.67352</td>
<td>78.09342</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>17.65275</td>
<td>78.08732</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>17.64316</td>
<td>78.06917</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>17.64660</td>
<td>78.05441</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>17.65605</td>
<td>78.03966</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>17.66072</td>
<td>78.02388</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>17.67042</td>
<td>78.01297</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>17.68053</td>
<td>77.98965</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>17.69126</td>
<td>77.98605</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>17.70758</td>
<td>77.98643</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>17.70933</td>
<td>77.98047</td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>17.70663</td>
<td>77.96521</td>
</tr>
<tr>
<td>31</td>
<td>17.70161</td>
<td>77.94486</td>
</tr>
<tr>
<td>32</td>
<td>17.71144</td>
<td>77.93002</td>
</tr>
<tr>
<td>33</td>
<td>17.72219</td>
<td>77.92656</td>
</tr>
<tr>
<td>34</td>
<td>17.73179</td>
<td>77.92781</td>
</tr>
<tr>
<td>35</td>
<td>17.73884</td>
<td>77.92529</td>
</tr>
</tbody>
</table>

उपाबंध-IV

पारिस्थितिक संबंधी जोन मानीटर समिति - की गई कार्यवाही की रिपोर्ट का विषय विवरण

1. बैठक की संबोध्या और लिखित।
2. बैठक का कार्ययुक्त : कृपया मुख्य उल्लेखनीय विद्वानों का वर्णन करें। बैठक के कार्ययुक्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबंध करें।
3. आधिकारिक समिति की तैयारी का प्रस्तावित जिसके अंतर्गत परिषद महायोजना।
4. अधि प्रमित में सभ्य विभिन्न के सुनारे के लिए तेज़ी से गए मामलों का सारांश।
5. ईआईए अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों के बारे में संविधान का सारांश। व्यापक एक पृथक उपाबंध के रूप में उपाबंध के कार्यक्रम की है।
6. ईआईए अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों के संबंध का सारांश। व्यापक एक पृथक उपाबंध के रूप में उपाबंध के कार्यक्रम की है।
7. परिवर्तन ( संस्करण ) अधिनियम, 1986 की घाता 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय।
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE
NOTIFICATION

New Delhi, the 9th November, 2015

S.O. 3029(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the Public.

2. Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at: - esz-mef@nic.in

Draft Notification

Whereas, the Manjeera Wildlife Sanctuary (hereinafter referred to as the Sanctuary) is situated in the Medak District in Telangana between 17.09’.45” to 17.12’.15” North latitude and between 78.02’.15” to 78.04’.48” East longitude and it is water body between two dams Manjeera and Singoor projects;

And whereas, the Sanctuary is abode for the mugger crocodile and home to five species of cultured fishes, 10 species of amphibians, 26 species of reptiles, 18 species of Mammals and over 170 species of bird species;

And whereas, the Sanctuary is an important habitat for aquatic avifauna and a number of resident and migratory birds such as Oriental Darter, Black Ibis, White Ibis, Glossy Ibis, Black winged Stilt, Painted Storks, Open billed Storks, Spoon bills, Comb ducks, Cotton teals, Whistling teals, Red crested Pochards, Common Pochards, Brahminy Ducks, Grey Pelicans, Brown Headed Gulls, Bar headed Geese, Osprey, Marsh harrier, Demoiselle Cranes and Swallows stay here;

And whereas, the Manjeera Wildlife Sanctuary has reservoir which is dotted with nine islands and support submergent and emergent vegetation such as *Typa sp. Ipomea sp. Nymphoides hydrophylla, Polygonum glabrum, Leucas aspera, Centella asiatica, Hydrilla verticillata, Vallisneria spiralis* and *Marsilea quadrifolia* and the forest tracts have typical tropical scrub forest type;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area the extent and boundaries around the Manjeera Wildlife Sanctuary and to propagate improvement and development of the wildlife therein and its environment.

And whereas, it is necessary to conserve and protect the area the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of Manjeera Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent of upto one kilometer from the boundary of the protected area of Manjeera Wildlife Sanctuary in the State of Telangana, as the Manjeera Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (hereinafter referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. **Extent and boundary of Eco-sensitive Zone.**—(1) The Eco-sensitive Zone is spread over an area of 65.28 square kilometer in Medak District of Telangana with an extent upto one kilometre from the boundary of the Manjeera Wildlife Sanctuary and includes 12 villages of 2 Mandals viz. Sadasivapet and Pulkal in Medak District.

(2) The of Eco-sensitive Zone extends up to one kilometer from the boundary of Manjeera Wildlife Sanctuary.

(3) The boundary description of the Eco-sensitive Zone is appended as Annexure I and the list of villages are given in Annexure-II.

(4) The map of Eco-sensitive Zone boundary together with latitudes –longitudes is appended to this notification as Annexure III.
2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.—(1) The State Government shall, for the purpose of effective management of the Eco-sensitive Zone, prepare a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with the local people and in such manner as specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(2) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:

(i) Environment;
(ii) Forest;
(iii) Urban Development;
(iv) Tourism;
(v) Municipal;
(vi) Revenue;
(vii) Agriculture;
(viii) State Pollution Control Board;
(ix) Irrigation; and
(x) Public Works Department,

for integrating environmental and ecological considerations into it.

(3) The said Plan shall be approved by the Competent Authority in the State Government.

(4) The Master Plan shall not impose any restriction on the existing land use or infrastructure and activities, unless such use of land or infrastructure or activities are prohibited under any law for the time being in force or unless prohibited under this notification:

Provided that the Zonal Master Plan shall promote efficiency and eco-friendly improvement of all infrastructure and activities.

(5) The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(7) The Zonal Master Plan shall ensure eco-friendly development for securing livelihood of local communities.

3. Measures to be taken by State Government.—The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:

(1) Landuse.—Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee constructed under paragraph 5 and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 10, 16, 22, 28 and 31 in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:

(i) Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, etc. for eco-friendly tourism activities;
(ii) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
(iii) Small scale industries not causing pollution;
(iv) Rainwater harvesting; and
(v) Cottage industries including village industries, convenience stores and local amenities:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of...
the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Natural springs.**—The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism.**—(a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism, Government of Telangana in consultation with Department of Forests, Government of Telangana.

(c) The activity relating to tourism shall be as under, namely:-

(i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority, with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;

(ii) new construction of hotels and resorts shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the Sanctuary except for accommodation for temporary occupation of tourists related to eco-friendly tourism activities;

Provided that, beyond the distance of one kilometer from the boundary of the sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be permitted in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural heritage.**—All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.**—Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.**—The Environment Department of the State Government or State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(7) **Air pollution.**—The Environment Department of the State Government or State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) **Discharge of effluents.**—The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and the rules made thereunder.

(9) **Solid wastes.**—Disposal of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests vide notification number S.O. 908 (E), dated the 25th September 2000 as amended from time to time;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;
(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone and by burning or incineration of solid wastes shall not be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste.** - The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests vide Notification number S.O. 630(E), dated the 20th July, 1998 as amended from time to time.

(11) **Vehicular traffic.** - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal master plan is prepared and approved, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Act and the rules and regulations in force made thereunder.

(12) **Industrial units.** - (a) Establishment of new wood based Industries shall not be permitted within the Eco-sensitive zone:

Provided that the existing wood based Industries may continues unless prohibited under any law for the time being in force.

(b) Establishment of any new Industry causing water, air, soil, noise pollution shall not be permitted within the eco-sensitive zone.

4. **List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.** - All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder, and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

<table>
<thead>
<tr>
<th>Sl. No.</th>
<th>Activity</th>
<th>Remarks</th>
</tr>
</thead>
</table>
| 1.     | Commercial Mining, stone quarrying and crushing units. | (a) New mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited with immediate effect except for the domestic needs of *bona fide* local residents.  
(b) The mining operations shall strictly be in accordance with the interim order of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and order of the Hon'ble Supreme Court dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012. |
| 2.     | Setting up of saw mills. | No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone. |
| 3.     | Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution. | No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted. |
| 4.     | Commercial use of firewood. | Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws. |
| 5.     | Establishment of new major hydroelectric projects and irrigation projects. | Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws. |
| 6.     | Use or production of any hazardous substances. | Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws. |
| 7.     | Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area. | Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws. |
| 8.     | Undertaking activities related to tourism like over-flying the National Park Area by aircraft, hot-air balloons. | Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws. |
| 9.     | New wood based industry. | Establishment of new wood based industry shall not be permitted within the limits of Eco-sensitive Zone: Providing that the existing wood-based industry may continue unless prohibited under any law for the time being in force. |
Regulated Activities:

<table>
<thead>
<tr>
<th>No.</th>
<th>Activity Description</th>
<th>Regulations</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>10.</td>
<td>Establishment of hotels and resorts.</td>
<td>No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer from the boundary of the sanctuary except for accommodation for temporary occupation of tourists related to eco-friendly tourism activities.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
| 11. | Construction activities | (a) No construction of any kind shall be permitted from the boundary of the Sanctuary to a distance of three hundred meters, except for tube well chamber of dimension not more than 125 cubic feet.  
(b) The construction of any building more than two storey (twenty five feet) shall not be permitted in the area falling between three hundred meters to one thousand meters from the boundary of the Sanctuary. |
| 12. | Felling of trees. | (a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government.  
(b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.  
(c) Working Plan prescriptions shall be followed in case of reserve forests and protected forests. |
| 13. | Commercial water resources including ground water harvesting. | (a) The extraction of surface water and ground water shall be permitted only for *bona fide* agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land.  
(b) Extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including the amount that can be extracted, shall require prior written permission from the concerned regulatory authority.  
(c) No sale of surface water or ground water shall be permitted.  
(d) Steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture. |
| 14. | Erection of electrical cables and telecommunication towers. | (a) The laying of new high tension transmission wires (33 KV and above voltage levels) shall not be permitted from the boundary of the Sanctuary to a distance of one thousand metres.  
(b) underground cabling may be promoted. |
| 15. | Fencing of existing premises of hotels and lodges. | Regulated under applicable laws. |
| 16. | Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads. | Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable. |
| 17. | Movement of vehicular traffic at night. | For commercial purpose shall be regulated. |
| 20. | Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area. | Recycling of treated effluent shall be encouraged and for disposal of sludge or solid wastes shall be in accordance with the applicable. |
| 22. | Small scale industries not causing pollution. | Non polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted. |
| 23. | Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP). | Regulated under applicable laws. |
| 25. | Use of polythene bags by shopkeepers. | Regulated under applicable laws. |
5. Monitoring Committee:- (1) The Central Government for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, hereby constitutes a Monitoring Committee, which shall comprise of the following namely:-

(a) District Collector, Medak –Chairman
(b) One representative of Non Governmental Organisation working in the field of environment to be nominated by the Government of Telangana for a term of one year in each case–Member
(c) One expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Telangana for a term of one year in each case –Member
(d) Regional Officer, State Pollution Control Board, Medak–Member.
(e) Senior Town Planner of the area–Member.
(f) Divisional Forest Officer (T), Medak–Member.
(g) Revenue Divisional Officer of the area–Member.
(h) District Wildlife Warden, Medak–Member Secretary.

(2) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this Notification.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

### Promoted Activities:

<table>
<thead>
<tr>
<th>No.</th>
<th>Description</th>
<th>Status</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>27.</td>
<td>Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.</td>
<td>Permitted under applicable laws.</td>
</tr>
<tr>
<td>28.</td>
<td>Rain water harvesting.</td>
<td>Shall be actively promoted.</td>
</tr>
<tr>
<td>30.</td>
<td>Adoption of green technology for all activities.</td>
<td>Shall be actively promoted.</td>
</tr>
<tr>
<td>31.</td>
<td>Cottage industries including village artisans, etc.</td>
<td>Shall be actively promoted.</td>
</tr>
<tr>
<td>32.</td>
<td>Use of renewable energy sources.</td>
<td>Bio gas, solar light etc to be promoted</td>
</tr>
</tbody>
</table>
(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro forma appended at Annexure IV.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

6. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

7. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon’ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/50/2014-ESZ-RE]

DR. T. CHANDINI, Scientist ‘G’

Annexure I

**Boundary description of Eco-Sensitive Zone:**

A – B: The boundary ESZ of Manjeera Wildlife Sanctuary starts at point ‘A’ and station 1 with lat. long. 17.74943 and 77.94329 north-west corner of near Singoor dam and also crossing point of PWD Road of Honapur to Malapahad and runs towards South - East direction connecting station no.2,3,4 & 5 passing through the villages Singoor and Pocharam then it turns from station no.5 to station no.11 and passing through the villages of Pulkal and Minpur and further it passing through village Minpur and turn towards South – East and runs towards the village boundary of Kodur, Esojipet, Gongulur, Gangojipet and Chekriyal upto station no.19 which is at point ‘B’.

B – C: From point ‘B’ and station 19 the zone runs towards southern direction and passing through the village Chekriyal through station 20 and runs towards south and crossing the river Manjeera at station 21 and then it turns towards west direction and passing through the village Kalabgur which is point at ‘C’ and station 22.

C – D: From point ‘C’ and station 22 of Kalabgur village the line runs towards north – west direction from station 23 to 29 passing through the villages of Nizampur and Kolkur which is point ‘D’ near village Kolkur.

D – A: From point ‘D’ and station 29 near Kolkur village it runs towards western direction station 29 connecting the stations 30, 31 and passing through the village Pottipally and runs western direction upto station 32 and then it turns towards north-west direction by crossing Gangakatwa Vagu in between station 32 and 33 and crossing the village Yetigadasangam then it connect the stations 33 then it turns towards north direction upto station 34, 35 and 36 by passing the village of Malapahad and crossing the PWD Road of Malapahad to Honnapur from there it crosses the Singoor dam towards North –West direction and again it crosses the Manjeera river and meets the final point of ‘A’ i.e., starting station 1 of near Singoor village.

Annexure II

**List of Villages falling within the proposed Eco-sensitive Zone**

<table>
<thead>
<tr>
<th>S_NO</th>
<th>VILLAGE_NAME</th>
<th>MANDAL</th>
<th>DISTRICT</th>
<th>LAT</th>
<th>LONG</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Malapahad</td>
<td>Sadasivapet</td>
<td>Medak</td>
<td>17.73165</td>
<td>77.92921</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Yetigadasangam</td>
<td>Sadasivapet</td>
<td>Medak</td>
<td>17.71524</td>
<td>77.93390</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Pottipally</td>
<td>Sadasivapet</td>
<td>Medak</td>
<td>17.69941</td>
<td>77.96342</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Kolkur</td>
<td>Sadasivapet</td>
<td>Medak</td>
<td>17.69072</td>
<td>77.98642</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Nizampur</td>
<td>Sadasivapet</td>
<td>Medak</td>
<td>17.67902</td>
<td>78.00297</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Kalabgur</td>
<td>Sangareddy</td>
<td>Medak</td>
<td>17.64349</td>
<td>78.06670</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Chekriyal</td>
<td>Pulkal</td>
<td>Medak</td>
<td>17.67619</td>
<td>78.09249</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Gangojipet</td>
<td>Pulkal</td>
<td>Medak</td>
<td>17.68490</td>
<td>78.06941</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Gongulur</td>
<td>Pulkal</td>
<td>Medak</td>
<td>17.68908</td>
<td>78.05569</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Map of Eco-sensitive Zone boundary together with latitudes –longitudes

Annexure III
<table>
<thead>
<tr>
<th>Sl. No.</th>
<th>Latitude</th>
<th>Longitude</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>17.74943</td>
<td>77.94329</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>17.73852</td>
<td>77.94899</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>17.72439</td>
<td>77.94999</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>17.72366</td>
<td>77.95328</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>17.72821</td>
<td>77.96172</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>17.72902</td>
<td>77.96643</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>17.72920</td>
<td>77.97164</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>17.73063</td>
<td>77.98182</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>17.72783</td>
<td>77.9893</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>17.72319</td>
<td>78.00207</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>17.71511</td>
<td>78.00734</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>17.71198</td>
<td>78.01714</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>17.70798</td>
<td>78.02277</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>17.70694</td>
<td>78.03107</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>17.71340</td>
<td>78.04663</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>17.69250</td>
<td>78.05330</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>17.69187</td>
<td>78.06938</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>17.69274</td>
<td>78.09199</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>17.67352</td>
<td>78.09342</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>17.65275</td>
<td>78.08732</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>17.64316</td>
<td>78.06917</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>17.64660</td>
<td>78.05441</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>17.65605</td>
<td>78.03966</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>17.66072</td>
<td>78.02388</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>17.67042</td>
<td>78.01297</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>17.68053</td>
<td>77.98965</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>17.69126</td>
<td>77.98605</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>17.70758</td>
<td>77.98643</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>17.70933</td>
<td>77.98047</td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>17.70663</td>
<td>77.96521</td>
</tr>
<tr>
<td>31</td>
<td>17.70161</td>
<td>77.94486</td>
</tr>
<tr>
<td>32</td>
<td>17.71144</td>
<td>77.93002</td>
</tr>
<tr>
<td>33</td>
<td>17.72219</td>
<td>77.92656</td>
</tr>
<tr>
<td>34</td>
<td>17.73179</td>
<td>77.92781</td>
</tr>
<tr>
<td>35</td>
<td>17.73884</td>
<td>77.92529</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Annexure IV

**Proforma of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-**

1. Number and date of Meetings.

2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attached Minutes of the meeting on separate Annexure.


4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record. Details may be attached as Annexure.

5. Summary of cases scrutinized for activities covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.


8. Any other matter of importance.